

माननीय न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग रेल्वे न्यायालय कल्याण के समक्ष सादर
"शिकायत पत्र (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223) के तहत"

SCC No. 3966 /2026 Dt.:

01. आरपीएफ पोस्ट : कल्याण लोको मंडल : मुंबई CR No. 19 /2026 धारा - 159 रेल अधिनियम
02. घटना की तारीख :- 14/09/2026 समय :- 14:00 बजे घटनास्थल :- रेल परिसर
03. आरोपी का नाम :- बशीर जलाल हसन उम्र: 28 वर्ष धन्दा :- रिक्शा चालक
स्थानीय पता :- सहजान कॉलोनी उल्हास नगर 05

स्थायी पता :- Same -

मो. न. : 9569426530

04. आरोपी की चेहरापट्टी : ऊंचाई 5'2" रंग सफेद शरीर लंबा पहचान चिन्ह

06. आरोपी को डिटेन करने की तारीख समय: स्थान :- रेसुब कल्याण लोको

07. आरोपी को डिटेन करने वाले अधिकारी का नाम व पता:-

08. जप्त संपत्ति का विवरण व कीमत -

09. रेलवे को हानी/नुकसान :

10. डिटेन करने के कारण (BNSS की धारा 36 के तहत):

- 1) रेलवे परिसर में कोई और अपराध को करने से रोकने, रेल यातायात सुनिश्चित करने हेतु।
- 2) अपराध की समुचित जांच करने हेतु।
- 3) अपराध से संबंधित साक्ष्य को प्रभावित करने से निवारित करने हेतु।
- 4) मामले से संबंधित तथ्यों से परिचित व्यक्ति को उन्हे उजाकर करने आरोपी द्वारा रोकने से निवारित करने हेतु।
- 5) उक्त आरोपी की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु गिरफ्तारी आवश्यक है।

11. आरोपी को डिटेन मेमो (BNSS की धारा 36 के तहत) बनाने का:-

करण्यात येत आहे

A) तारीख समय: स्थान :- रेसुब कल्याण लोको

B) गवाहों का विवरण :- गवाह नं 1-

न्यायदंडाधिकारी, प्रथम गवाह नं 2- अनुपम पामने

C) डिटेन व्यक्ति के रिश्तेदार मित्र जिसे डिटेन की सूचना दी गई: (नाम): मोबाइल न.

12. आरोपी को जांच अधिकारी द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है या नहीं

13. जांच अधिकारी का नाम व पद:- ASI- जे. पी. शुक्ला ASI-KYN-L

14. अपराध का संक्षिप्त विवरण :- उक्त व्यक्ति को रेल परिसर में अशुभ रूप से पार्किंग कर सरकारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया।

नोट :- उपरोक्त मामले की जांच में यह पाया गया कि आरोपी ने रेल अधिनियम की धारा... से वर्णित अपराध किया है। अतः माननीय न्यायालय के समक्ष शिकायत पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आरोपी... KYN-L यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम ३५ (३) प्रमाणित के तहत आरोपी पाझे समक्ष प्रत्यक्ष/खुदगी को नॉन कर सिंगलर उजर जला

नोट : आरोपी की डिटेन व तलाशी BNSS के प्रावधानों के अधीन की गई है और डिटेन मेमो बनाकर आरोपी के रिश्तेदार / मित्र को डिटेन की सूचना दी गई है एवं डिटेन व्यक्ति को BNSS में उपबंधित सभी सुविधाएं मुहय्या की गई। मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य & डी के बसु बनाम प. बंगाल राज्य के वाद के न्यायनिर्णय में दिये गए सभी दिशानिर्देशों और मानवाधिकार का अनुपालन में सभी निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया है।

न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग आरोपी का हस्ताक्षर

फरियादी का हस्ताक्षर

गवाह नं 1 का हस्ताक्षर

गवाह नं 2 का हस्ताक्षर

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर
रेसुब/ कल्याण लोको
RPF/KALYAN LOCO

Sections of the law and charges
as per rule read over and explained to
the accused.

Q 1 :- Have you understood the same ?

Yes

Found guilty to the same

Yes

दाखिल

f

SIC

15/04/26

ORDER

I/s 275 of the BNSS, 2023, I accept
the plea of guilt and convict the accused
for offence Punishable U/s 159 RA
He is sentenced to pay fine of
Rs. 500/- I/D. to suffer S.I.
for 05 days

[Signature]
Judicial Magistrate F.C.
Riv. Court, Kalyan

15/04/26

Fine Paid... 500/-
[Signature] 15/4/26
Sr. Clerk (C & F)
Railway Court, Kalyan